(2)

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./18/डी— 189 दिनांकः— 6-4-18

## कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 142वीं बैठक दिनांकः 26.03.2018 को अपराह्न 04.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "मंथन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

| क्र. सं | जोन नं. | प्रस्ताव संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | 142:1 | भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 141वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत। | भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 141 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुये शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये। |
| 2. | 1 | 142:2 | केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 को विनिमय द्वारा मालवीय नगर ए—ब्लॉक में आवंटित की गई 3000 वर्गमीटर में मौका रिपोर्ट अनुसार बढ़ी हुई भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन—1 द्वारा केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 को विनिमय द्वारा मालवीय नगर ए—ब्लॉक में आवंटित की गई 3000 वर्गमीटर में मौका रिपोर्ट अनुसार बढ़ी हुई 250.94 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का आवंटन केन्द्रीय विद्यालय को विनिमय द्वारा किया गया था। स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की भूमि 100 वर्गगज से अधिक है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत उक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 250.94 वर्गमीटर भूमि को संस्थानिक आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि विद्यालय के पास रास्ते में दीवार के कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दीवार हटाने के पश्चात् ही लीजडीड जारी की जावें। |
| 3. | 4 | 142:3 | श्री लालचन्द शर्मा को पथिक भवन गृ0नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 13, दुर्गा विहार के भूखण्ड संख्या 2 में स्थित 55.5 वर्गगज अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जारी लीजडीड में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने बाबत। | श्रीमती भौरी देवी को पथिक भवन गृ0नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 13, दुर्गा विहार के भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 191.16 की लीजडीड जारी की गई थी। उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण आवंटी के पुत्र श्री लालचन्द शर्मा के नाम किया जा चुका है। प्रार्थी वर्तमान में 246.66 वर्गगज पर काबिज है। मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड में 55.5 वर्गगज अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है। उपायुक्त द्वारा उक्त 55.5 वर्गगज को राजकीय भूमि मानते हुये आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड संख्या 2 में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 55.5 वर्गगज भूमि को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 4. | | 142:4 | BAPS स्वामीनारायण मंदिर, चित्रकूट को महादेव नगर के भू.सं. 144 से 149 कुल क्षेत्रफल 1609.60 वर्गमीटर भूमि जविप्रा के कब्जे में लेकर विनिमय में अन्य भूमि देने | एलपीसी की 139वीं बैठक दिनांक 30.10.17 में उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के आधार पर BAPS स्वामीनारायण मंदिर, चित्रकूट को महादेव नगर के भू.सं. 143, 144, 145, 146, 147 व 148 की 1615.33 वर्गमीटर भूमि जविप्रा के कब्जे में लेकर विनिमय में चित्रकूट योजना में स्थित पार्क की 1606.15 वर्गमीटर भूमि राज्य सरकार |

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | बाबत। | की स्वीकृति अनुसार विनिमय करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि पूर्व में महादेव नगर योजना के भूखण्ड संख्या 143 से 148 कुल क्षेत्रफल 1615.33 व.मी. सहवन से अंकित हो गया था। जो वास्तव में भूखण्ड संख्या 144 से 149 कुल क्षेत्रफल 1609.60 व.मी. है एवं विनिमय में दी जाने वाला पार्क विद्युत नगर–सी का न होकर स्कीम नं. 16 गिरनार कॉलोनी का है। उक्तानुसार संशोधन का अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा किया जा चुका है। उपायुक्त द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। |
| 5. | 9 | 142:5 | श्रीमती भौरी देवी पत्नी श्री गंगाराम को आवंटित भूखण्ड संख्या 500 क्षेत्रफल 45 व.मी. योजना रामनगरिया विस्तार किसी अन्य को आवंटन होने के कारण विनिमय में अन्य भूखण्ड देने बाबत। | श्रीमती भौरी देवी पत्नी श्री गंगाराम को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड संख्या 500 आवंटन किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड किसी अन्य को आवंटित है। अतः उपायुक्त जोन–9 द्वारा भूखण्ड संख्या 500 के स्थान पर योजना के समान रोड चौड़ाई व समान माप के भूखण्ड संख्या बी–571 से बी–574 प्रत्येक क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमती भौरी देवी को रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 500 के स्थान पर योजना में समान माप व रोड़ चौड़ाई पर स्थित उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–571 से बी–574 प्रत्येक क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर में से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। |
| 6. | 10 | 142:6 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को ग्राम आमेर तहसील आमेर के खसरा नं. 2112 में 900 वर्गमीटर व खसरा नं. 8228 व 8238 में से 900 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–10 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को ग्राम आमेर तहसील आमेर के खसरा नं. 2112 रकबा 2.82 हैक्टेयर किस्म बंजड में से 900 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम आमेर के खसरा नं. 2112 रकबा 2.82 हैक्टेयर में से 900 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन उपलब्ध भूमि की योजना बनाकर इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें।<br>उपायुक्त जोन–10 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को ग्राम आमेर तहसील आमेर के खसरा नं. 8228 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म चाही–I एवं 8238 रकबा 0.21 कुल किता 2 रकबा 0.39 है. में से 900 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम आमेर के खसरा नं. 8228 एवं 8238 कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 900 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन उपलब्ध भूमि की योजना बनाकर इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें। |

आयुक्त (पूर्व दी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

(5)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 11 | 142:7 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 में से 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–11 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 रकबा 5.81 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगरू हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 रकबा 5.81 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन उपलब्ध भूमि की योजना बनाकर इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें। |
| 8. | 11 | 142:8 | अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बगरू को तहसील कार्यालय बगरू हेतु ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–11 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बगरू को नगर पालिका क्षेत्र में तहसील कार्यालय (बगरू) के लिए ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 रकबा 5.81 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पूर्व में एलपीसी की बैठक दिनांक 02.12.14 में उप तहसील, बगरू के लिए ग्राम बड़ीकाखेडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 117 में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उप तहसील, बगरू के लिए किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में संबंधित विभाग को ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 रकबा 5.81 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि उप तहसील, बगरू हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन उपलब्ध भूमि की योजना बनाकर इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें। |
| 9. | 11 | 142:9 | अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बगरू को पालिका कार्यालय हेतु ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 में से 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–11 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बगरू को नगर पालिका क्षेत्र में पालिका कार्यालय के लिए ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 रकबा 5.81 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नगर पालिका, बगरू को ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4272 रकबा 5.81 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि पालिका कार्यालय हेतु कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावें। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन उपलब्ध भूमि की योजना बनाकर इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें। |
| 10. | 11 | 142:10 | मैसर्स नोवा बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री रमेश मूलचन्दानी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या | मैसर्स नोवा बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री रमेश मूलचन्दानी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास में आवासीय भूखण्ड संख्या 790–सी (कॉर्नर) क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 10 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर |

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 790–सी आवंटित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत। | बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 790–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावें। |
| 11. | 11 | 142:11 | श्री नवल मोदानी पुत्र श्री गौरी शंकर मोदानी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 631 का आवंटित क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढे हुए क्षेत्रफल 154.8 वर्गमीटर के आवंटन बाबत। | उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री नवल मोदानी पुत्र श्री गौरी शंकर मोदानी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 631 क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 154.8 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 631 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 154.8 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निणय लिया गया। |
| 12. | 12 | 142:12 | मैसर्स ए एण्ड ए टाउनशिप डवलपमेन्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री शरद मिश्रा को जविप्रा की हाथोज विस्तार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या फेज ए में क्षेत्रफल 5400 वर्गमीटर के बदले इसी योजना में अन्य उपलब्ध आरक्षित भूखण्डों में से 5400 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मैसर्स ए एण्ड ए टाउनशिप डवलपमेन्ट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री शरद मिश्रा को जविप्रा की हाथोज विस्तार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या फेज ए में क्षेत्रफल 5400 वर्गमीटर की लीजडीड जारी की गई थी। उक्त भूखण्ड के मौके पर अतिक्रमण होने व तीन गांवों हाथोज, मॉचवा व पीथावास की सीमाओं में ओवर लेपिंग होने के कारण स्पष्ट सीमाज्ञान के अभाव के कारण तथा न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर एजेण्डा नोट के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित योजना के उत्तर दिशा की ओर 18 मीटर व 12 मीटर कॉर्नर पर 3100 वर्गमीटर का आरक्षित भूखण्ड व परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार फेज–सी में प्रार्थी को जारी लीजडीड क्षेत्रफल 1814 वर्गमीटर के पीछे उपलब्ध 2300 वर्गमीटर भूमि कुल 5400 वर्गमीटर दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार समान क्षेत्रफल 5400 वर्गमीटर का विनिमय करने का निर्णय लिया गया। जोन उपायुक्त यह सुनिश्चित करे कि आवंटन की गई भूमि समकक्ष हो। |
| 13. | 13 | 142:13 | ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 786 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 787 रकबा 0.15 हैक्टे., 788 रकबा 0.80 हैक्टे. कित्ता 03 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बंजड में से ग्राम पंचायत भवन | एलपीसी की 134वीं बैठक दिनांक 31.05.17 में ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 786, 787, 788 किस्म बंजड़ की 1.15 हैक्टेयर भूमि राजकीय भवनों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया जाकर भूमि की प्लानिंग कर संबंधित विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–13 द्वारा ग्राम पंचायत भवन व |

उपायुक्त (ग्रा.वि.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(6)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | व ऑगनबाड़ी केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत। | आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भूमि आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि /3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में महिला एवं बाल विकास विभाग को ग्राम इन्द्रगढ़ के खसरा नं. 786, 787, 788 कुल 1.15 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि ऑगनबाड़ी केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत भवन के लिए 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें। प्लानिंग के पश्चात् व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही पट्टा जारी किया जावें। |
| 14. | 13 | 142:14 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को राजकीय सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास हेतु राजस्व ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 576 के स्थान पर खसरा नं. 379 में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने बाबत। | एलपीसी की 137वीं बैठक दिनांक 22.08.17 में राजकीय छात्रावास, जमवारामगढ़ हेतु ग्राम जमवारामगढ़ के खसरा नं. 576 रकबा 4–05 बीघा में से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उक्त खसरा नं. वर्तमान बंदोबस्त के रिकॉर्ड में गै.मु.नाला दर्ज है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त खसरा नं. 576 के स्थान पर खसरा नं. 379 रकबा 21.10 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर वर्तमान बंदोबस्त में खसरा नं. 576 की किस्म गै.मु. नाला होने से उक्त खसरा नं. के स्थान पर राजकीय छात्रावास, जमवारामगढ़ हेतु ग्राम जमवारामगढ़ के खसरा नं. 379 रकबा 21.10 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें। |
| 15. | 13 | 142:15 | **पीताम्बरा आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–251 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन करने बाबत।** | **श्रीमती बाबूडी देवी को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी–251 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 73.35 वर्गमीटर हो रहा है। प्रार्थिया द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल को आवंटित कराने में असमर्थता जाहिर की है एवं समान माप का अन्य भूखण्ड आवंटन करने का निवेदन किया है। अतः उपायुक्त जोन–13 द्वारा भूखण्ड संख्या बी–251 के स्थान पर पीताम्बरा आवासीय योजना के समान माप के नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–272 व बी–273 प्रत्येक क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पीताम्बरा आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी–251 के स्थान पर योजना में समान माप व रोड़ चौड़ाई पर स्थित उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–272 व बी–273 प्रत्येक क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर में से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।** |
| 16. | 13 | 142:16 | श्री बजरंग लाल ताखर को राजभवन योजना में किये गये भूखण्ड आवंटन की जमा राशि लौटाने/नहीं लौटाने के संबंध में निर्णय बाबत। | एलपीसी की 105वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार श्री बजरंग लाल ताखर को राजभवन योजना में भूखण्ड संख्या बी–198 का आवंटन किया गया था। जिसकी मांग राशि 313000/- प्रार्थी द्वारा जमा करा दी गई। किन्तु श्री ताखर द्वारा चित्रकूट योजना में भूखण्ड आवंटन का निवेदन करने पर एलपीसी की 119वीं बैठक दिनांक 11.09. |

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 15 में राजभवन योजना में किया गया आवंटन निरस्त कर चित्रकूट योजना में भूखण्ड संख्या बी–2/418 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर का आवंटन व दर के निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक माप का भूखण्ड आवंटन करने से मना करने पर एलपीसी की 141वीं बैठक में श्री बजरंग लाल ताखर को जविप्रा की आवासीय योजना खूसर विस्तार योजना के नवसृजित प्रस्तावित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 42, 43, 44, 53, 54, 55 प्रत्येक 220 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया जा चुका है। उपायुक्त जोन–13 द्वारा राजभवन योजना के भूखण्ड संख्या बी–198 की जमा राशि लौटाने/नहीं लौटाने के निर्णय हेतु पत्रावली प्रस्तुत की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजभवन योजना की जमा राशि में से खूसर विस्तार योजना के भूखण्ड के पेटे देय राशि का समायोजन कर शेष राशि लौटाने का निर्णय लिया गया। |
| 17. | 14 | 142:17 | सरपंच, ग्राम पंचायत बल्लुपुरा, पंचायत समिति चाकसू को नवसृजित ग्राम पंचायत बल्लुपुरा तहसील चाकसू के पंचायत भवन निर्माण हेतु ग्राम डाहर तहसील चाकसू के खसरा नं. 665 रकबा 7.53 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से आवंटित 1000 वर्गमीटर भूमि की राशि लौटाने बाबत। | एलपीसी की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 में सरपंच, ग्राम पंचायत बल्लुपुरा, पंचायत समिति चाकसू को नवसृजित ग्राम पंचायत बल्लुपुरा तहसील चाकसू के पंचायत भवन निर्माण हेतु ग्राम डाहर तहसील चाकसू के खसरा नं. 665 रकबा 7.53 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। जिसकी मांग राशि 350974/– रूपये जमा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार चरागाह भूमि के आवंटन पर प्रतिबन्ध होने के कारण आदेश क्रमांक 324 दिनांक 17.04.17 द्वारा भूमि आरक्षित की गई। सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमा राशि लौटाने हेतु निवेदन किया गया है। उपायुक्त द्वारा जमा राशि लौटाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर अतिरिक्त महाधिवक्ता से प्राप्त राय दिनांक 31.01.18 व निदेशक (विधि) से प्राप्त पत्र दिनांक 23.02.18 के अनुसार वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्राधिकार की चरागाह भूमि का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं होने के कारण प्रकरण में किये गये आरक्षण को आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–** | | | | |
| 18. | 7 | 142:17(1) | अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पुलिस चौकी चित्रकूट हेतु 2441.77 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | एलपीसी की 111वीं बैठक दिनांक 15.09.14 में लिये गये निर्णयानुसार चित्रकूट पुलिस चौकी हेतु आवंटित 4000 वर्गमीटर भूमि (पुलिस थाना करणी विहार संचालित) के मौके पर पीटी सर्वे के अनुसार 2441.77 वर्गगज पर ही कब्जा होना पाये जाने से पुलिस चौकी, चित्रकूट को आवंटित 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये करणी विहार थाने का मौके पर वास्तविक कब्जाशुदा भूमि 2441.77 वर्गगज आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर के पत्र दिनांक 22.11.17 में पुलिस चौकी, चित्रकूट का भवन निर्मित होने व करणी विहार थाने का भवन नहीं होने से पुलिस चौकी चित्रकूट में करणी विहार थाना संचालित होना बताया है। उक्त पत्र में 2441.77 वर्गगज भूमि को पुलिस चौकी चित्रकूट हेतु आवंटन करने व करणी विहार थाने हेतु पृथक से भूमि का आवंटन करने का निवेदन किया है। एलपीसी की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 में करणी विहार थाने हेतु ग्राम पांच्यावाला के खसरा नं. 176 की |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2628.40 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर से प्राप्त पत्रों व उनसे हुई वार्ता अनुसार चित्रकूट पुलिस चौकी (प्रस्तावित थाना) हेतु 2441.77 वर्गगज भूमि आवंटन चाहा जा रहा है। अतः चित्रकूट पुलिस चौकी (प्रस्तावित थाना) को उक्त 2441.77 वर्गगज भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को चित्रकूट पुलिस चौकी (प्रस्तावित थाना) हेतु 2441.77 वर्गगज भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में चित्रकूट पुलिस चौकी को 3989.80 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की जाकर पट्टा दिनांक 21.01.1999 को जारी किया जा चुका है। किन्तु मौके पर 2441.77 वर्गगज भूमि ही उपलब्ध होने से उक्त मूल लीजडीड व कब्जा पत्र जविप्रा को समर्पित किया जा चुका है। अतः प्रकरण में 2441.77 वर्गगज का निःशुल्क पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जावें। |
| 19. | 8 | 142:17(2) | यूनाईटेड स्कूल्स ऑर्गेनाईजेशन ऑफ इंडिया को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1443.00 वर्गमीटर भूमि में से 750.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–8 द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 7705/2006 यूनाईटेड स्कूल्स ऑर्गेनाईजेशन ऑफ इंडिया बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.03.18 की अनुपालना में यूनाईटेड स्कूल्स ऑर्गेनाईजेशन ऑफ इंडिया को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1443.00 वर्गमीटर भूमि में से 750.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा संस्थानिक उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन चाहा गया है। उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित भूमि अनुमोदित मानचित्र अनुसार सुविधा क्षेत्र है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में 750.00 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन व भू–उपयोग अनुज्ञेयता के क्रम में नगर आयोजना शाखा की टिप्पणी/राय ली जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त समुचित प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। |
| 20. | 11 | 142:17(3) | अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बगरू को अम्बेडकर भवन हेतु ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3398 में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–11 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बगरू को नगर पालिका क्षेत्र में अम्बेडकर भवन के लिए ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3398 रकबा 0.18. हैक्टेयर किस्म गै.मु.देवस्थान में से क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि मन्दिर व शौचालय के निर्माण को छोड़कर लगभग 800 वर्गमीटर भूमि रिक्त आवंटन हेतु उपलब्ध है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नगर पालिका, बगरू को ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3398 रकबा 0.18 हैक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि अम्बेडकर भवन हेतु कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें। |
| 21. | 13 | 142:17(4) | सरपंच, ग्राम पंचायत कानोता को राजस्व ग्राम कानोता की ढ़ाणी लक्ष्मीपुरा के श्मशान के लिए राजस्व ग्राम कानोता | उपायुक्त जोन–13 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत कानोता को राजस्व ग्राम कानोता की ढ़ाणी लक्ष्मीपुरा के श्मशान के लिए राजस्व ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 829 रकबा 24–10 बीघा किस्म गैर मुमकिन पाल रकबा |

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | तहसील बस्सी के खसरा नं. 829 में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | 23—13 बीघा एवं किस्म—चाही—2 रकबा 0—17 बिस्वा में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति—2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख—रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर सैद्धान्तिक रूप से ग्राम कानोता के खसरा नं. 829 में8 से किस्म चाही—2 रकबा 0—17 बिस्वा में से 1500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख—रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि आरक्षण पत्र जारी करने से पहले वे स्वयं मौका देखकर सुनिश्चित करें कि आरक्षित की जा रही भूमि चाही—2 के रूप में वर्गीकृत 17 बिस्वा का हिस्सा है एवं गैर मुमकिन पाल के रूप में उपयोग नहीं हो रही है। |
| 22. | 14 | 142:17(5) | इंडियन कौंसिल फॉर इन्टरनेशनल अमेटी, जयपुर को जविप्रा की अनुमोदित योजना ग्राम बाडापदमपुरा के खसरा नं. 116/1 एवं 121 की भूमि पर पार्ट—ए क्षेत्रफल 121405.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | एलपीसी की 97वीं बैठक दिनांक 14.08.13 में इंटियन कौंसिल फॉर इन्टरनेशनल अमेटी, जयपुर को दी आई.आई. एस. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जविप्रा की अनुमोदित योजना ग्राम बाडापदमपुरा के खसरा नं. 116/1 एवं 121 की भूमि पर पार्ट—ए क्षेत्रफल 121405.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 20.09.13 में विश्वविद्यालय हेतु उक्त भूमि संस्थानिक आरक्षित दर की 30 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। संस्था द्वारा उक्त आवंटन के पेटे मांग राशि 16,25,61,395/— रूपये जमा कराई जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.06.14 के क्रम में उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 03.07.14 को निरस्त कर दिया गया। आवंटी संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करने पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.08.14 में उक्त भूमि किसी अन्य को आवंटन न करने हेतु प्रतिबद्ध किया। पूर्व में इस संबंध में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 06.09.17 से नवीन आवंटन नीति के तहत परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव चाहा गया था। जिसके क्रम में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 27.09.17 से जवाब भिजवा दिया गया। संस्था द्वारा पत्र दिनांक 05.10.17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन बहाल करने पर माननीय न्यायालय में दायर याचिका विड्रा करने का आश्वासन दिया है। उपायुक्त द्वारा प्रकरण में निर्णय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि की तत्समय संस्थानिक आरक्षित दर 3650/— रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित थी एवं वर्तमान में संस्थानिक आरक्षित दर 7500/— रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में आवंटन निरस्त राज्य सरकार के स्तर पर किया गया था। अतः प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित संस्था के प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावें। |

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह भी निणय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 की पालना में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/एलपीसी/17/डी—324 दिनांक 17.04.17 दे दिनांक 12.01.17 के पश्चात् चरागाह भूमि के किये गये आवंटन को आरक्षण शब्द से प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता से प्राप्त राय दिनांक 31.01.18 व निदेशक (विधि) से प्राप्त पत्र दिनांक 23.02.18 के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्राधिकार की चरागाह भूमि का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित

नहीं होने के कारण आवंटन की कार्यवाहो की जा सकती है। अतः ऐसे समस्त प्रकरण (श्मशान/कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को छोडकर) जिनमें चरागाह होने से आरक्षण करने का निर्णय लिया गया था। उनमें नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावें।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

11

परिशिष्ट 'अ'

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 142वीं बैठक दिनांक 26.03.2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

| क्र.सं. | नाम अधिकारी मय पद | एल.पी.सी. में पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री वैभव गालरिया, आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | श्री एच. गुईटे, सचिव | सदस्य |
| 3. | श्री ह्रदेश कुमार जुनेजा, निदेशक(वित्त) | सदस्य |
| 4. | श्री ललित शर्मा, निदेशक(अभियांत्रिकी–द्वितीय) | सदस्य |
| 5. | श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) | सदस्य |
| 6. | श्री उज्ज्वल राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) | सदस्य सचिव |
| 7. | श्री सैयद जैनुद्दीन शाहिद, विशेषाधिकारी (आर.एम.) | विशेष आमंत्रित |
| 8. | श्रीमती लवंग शर्मा, परामर्शी (नगर नियोजन) | विशेष आमंत्रित |
| 9. | श्री बीरबल सिंह, उपायुक्त जोन–1 | विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–4 | विशेष आमंत्रित |
| 11. | श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–5 | विशेष आमंत्रित |
| 12. | श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, उपायुक्त जोन–8 | विशेष आमंत्रित |
| 13. | श्री रामनारायण बड़गुर्जर, उपायुक्त जोन–9 | विशेष आमंत्रित |
| 14. | श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–11 | विशेष आमंत्रित |
| 15. | श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–7 व 12 | विशेष आमंत्रित |
| 16. | श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13 | विशेष आमंत्रित |
| 17. | श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–14 | विशेष आमंत्रित |
| 18. | श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क) | विशेष आमंत्रित |